

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 31/2024 ( धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री मुस्तकीन कुरेशी पुत्र मोहम्मद तहसीन कुरेशी, निवासी मकान नम्बर 77, चांदशाह बाबा की दरगाह,  
गोपीनाथ मार्ग, पुलिस थाना जालपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के  
तहत जब्त शुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 07.800  
किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप मय नोजल एवं एक  
इलेक्ट्रॉनिक कांटा को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।




विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.02.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 12.05.2024 को गोपीनाथ मार्ग, एम.आई.रोड जय सिंह होटल के सामने, चांदशाह बाबा की दरगाह, लकडी की टाल के पास की जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी श्री मुस्तकीन कुरेशी उपस्थित मिले। अप्रार्थी द्वारा लोहे की थडी की आड में घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से ऑटो में अवैध रूप से गैस भर रहा था। बावर्दी पुलिस को देखकर ऑटो वाला ऑटो लेकर भाग गया। अप्रार्थी के कब्जे से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. क्षमता 14.2 किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय दो रबड पाईप मय नोजल एवं 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से ऑटो में गैस रिफिलिंग करने का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है, जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 14.05.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावे। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ, अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते बहस पैराकार रसद नियत की गई।

  
जिला कलेक्टर  
जयपुर

3. बहस पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गोपीनाथ मार्ग, एम.आई.रोड जय सिंह होटल के सामने, चांदशाह बाबा की दरगाह, लकड़ी की टाल के पास की जांच की गई। मौके पर अप्रार्थी श्री मुस्तकीन कुरेशी उपस्थित मिले। अप्रार्थी द्वारा लोहे की थडी की आड में घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से ऑटो में अवैध रूप से गैस भर रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में 80 रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से अवैध तरीके से गैस भरने का कार्य किया जाता है। जब घरेलू गैस सिलेण्डर गैसर्स पण्डित गैस सर्विस, जयपुर के प्रतिनिधि श्री मोती सिंह शेखावत पुत्र श्री बजरंग सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैध रिफिलिंग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।
5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 12.05.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौरान जांच 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एलपीजी 7.800 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रय-विक्रय कर ऑटो में अवैध रूप से गैस भरने का कार्य किया जाकर व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी.एल. मय एलपीजी 7.800 किलोग्राम, एक विद्युत मोटर मय दो रबड पाईप एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 14.05.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति हस्त कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को पेशित हो । पत्रावली फौसल नम्बर हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर  
जयपुर